प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 1066/1994</u>

सालिकराम और एक अन्य।

- बनाम-

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचारार्थ निर्णय</u>

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता</u>

मैं सहमत हूं।

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 15 फरवरी 2012 को सूचीबद्घ करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति और माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 1066/1994

अपीलार्थीगण : 1. सालिकराम, उम्र 38 वर्ष,

2. मोहनलाल, उम्र 27 वर्ष,

दोनों पिता ठंडाराम, जाति अघरिया, कृषक तथा निवास गांव अमोरा, पुलिस थाना तुमगांव, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर श्रीमती रेनू कोचर, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(15.02.2012)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:—

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 332/1991 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 1994 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:—

कुल 19 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149, 120-ख तथा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन चलाया गया। अभियोजन का आरोप था कि दिनांक 28.02.1991 को लगभग रात्रि 8.00 बजे उन्होंने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया, घातक हथियारों के साथ बल्वा किया तथा उक्त जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक अमर सिंह की हत्या कारित की। इस घटना के 6 चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए, जिनके नाम इस प्रकार हैं— मेहत्तर सिंह (अ.सा.-1), बलिराम (अ.सा.-2), भगतराम (अ.सा.-6), कुंवर सिंह (अ.सा.-7), तुलसीराम (अ.सा.-12) एवं दुखुराम (अ.सा.-15)। उक्त 6 चक्षुदर्शी साक्षियों में से मेहत्तर सिंह (अ.सा.-1), बलिराम (अ.सा.-2) एवं भगतराम (अ.सा.-6) पक्षद्रोही हो गए। यद्यपि कुंवर सिंह (अ.सा.-7), तुलसीराम (अ.सा.-12) एवं दुखुराम (अ.सा.-15) को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था, तथापि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया। सत्र न्यायाधीश ने मेहत्तर सिंह (अ.सा.-1) एवं भगतराम (अ.सा.-6) के कथनों पर भी भरोसा नहीं किया। तथापि, बलिराम (अ.सा.-2) के कथन पर भरोसा करते हुए सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 19 अभियुक्तों में से केवल दो अपीलार्थी, अर्थात् सालिकराम एवं मोहनलाल (अभियुक्त-2 एवं अभियुक्त-3), ने मृतक पर आक्रमण में भाग लिया। यह विधिविरुद्ध जमाव के गठन का मामला नहीं पाया गया, अतः 17 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया तथा उपर्युक्त दो अभियुक्तों को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेनू कोचर ने तर्क प्रस्तुत किया कि बलिराम (अ.सा.-2) को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था। उसके साक्ष्य में अनेक विरोधाभास हैं। वस्तुतः उसे आंशिक रूप से विश्वसनीय माना गया तथा किसी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होने के बाद भी अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया है।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

(7) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह नहीं पाया कि अभियुक्तगण ने कोई विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बल्वा किया अथवा कथित विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में मृतक पर आक्रमण किया गया। 6 चक्षुदर्शी साक्षियों में से 5 चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अविश्वसनीय पाया। तथापि, केवल बलिराम (अ.सा.-2) के एकमात्र कथन पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) **वडिवेलु थेवर बनाम राज्य, मद्रास, ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 614** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य को गिना नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 यह मान्यता देती है कि किसी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की गुणवत्ता से सरोकार रखता है, न कि उसकी मात्रा से। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्यतः मौखिक साक्ष्य को इस संदर्भ में तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है,अर्थात्— (1)पूर्णतः विश्वसनीय, (2) पूर्णतः अविश्वसनीय, तथा (3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। प्रथम श्रेणी के मामलों में न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती और यदि एकमात्र साक्षी का कथन किसी प्रकार की दोषारोपणीयता, स्वार्थ, अक्षमता अथवा प्रेरणा के संदेह से परे पाया जाए, तो उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में भी न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। तृतीय श्रेणी के मामलों में न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी होती है तथा ऐसे मामलों में विश्वसनीय प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संपुष्टि की खोज करनी होती है।

(9) उपर्युक्त दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय ने ***लल्लू मांझी एवं एक अन्य बनाम राज्य झारखंड,*** **(2003) 2 SCC 401** के प्रकरण में पुनः दोहराया। इसमें कहा गया कि साक्ष्य का नियम किसी तथ्य के प्रमाण हेतु किसी विशेष संख्या में साक्षियों के परीक्षण की अनिवार्यता नहीं करती। तथापि, एकमात्र साक्षी के कथन के समक्ष न्यायालय मौखिक साक्ष्य को तीन वर्गों में विभाजित कर सकता है, अर्थात् (i) पूर्णतः विश्वसनीय, (ii) पूर्णतः अविश्वसनीय, तथा (iii) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। प्रथम दो वर्गों में एकमात्र साक्षी के कथन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु तृतीय श्रेणी के मामलों में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे मामलों में न्यायालय को अत्यधिक सतर्क रहना होता है तथा एकमात्र साक्षी के कथन पर कार्यवाही करने से पूर्व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विश्वसनीय प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की खोज करनी होती है। वर्तमान प्रकरण में न्यायालय के लिए मृतक के भाई (अ.सा.-9), जो कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी है, के कथन पर न तो पूर्ण विश्वास करना संभव है और न ही उसे पूर्णतः अस्वीकार करना, क्योंकि उसका कथन न तो पूर्णतः विश्वसनीय कहा जा सकता है और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) वर्तमान प्रकरण में बलिराम (अ.सा.-2) को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आंशिक रूप से विश्वसनीय माना गया है। मुख्य परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने 5 अभियुक्तों को, जिनमें 2 अपीलार्थी भी सम्मिलित थे, मृतक पर हमला करते हुए देखा। उसने अन्य अभियुक्तों के नाम नहीं लिए। इसी कारण लोक अभियोजक द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। जब उसे उसके केस डायरी कथनों (प्रदर्श पी/3) से अवगत कराया गया, तो उसने पुलिस को ऐसे कथन देने से इंकार किया तथा यह भी कहा कि न्यायालय में पूर्व में दिया गया उसका अभिसाक्ष्य ही सही है। उसने इस सुझाव को भी नकार दिया कि अन्य अभियुक्त भी घटना स्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने भी मृतक पर हमले में भाग लिया था। इस साक्षी के अनुसार, दोनों अपीलार्थी लाठियों से सज्जित थे और उन्होंने लाठियों से मृतक पर प्रहार किया।

(11) शव परीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक को कुल 14 चोटें आई थीं, जिनमें से कई चोटें फटी हुई थीं, जो धारदार हथियारों से लग सकती थीं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों पर अविश्वास करने के आधारों में से एक माना, यह कहते हुए कि उनका विवरण चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता। हमें बलिराम (अ.सा.-2) के संबंध में भी यही स्थिति दिखाई देती है। उसका विवरण भी चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अनुसार अपीलार्थी लाठियों से सज्जित थे, जबकि मृतक को अनेक फटी हुई चोटें आई थीं। हम यह भी देखते हैं कि बलिराम (अ.सा.-2) ने 19 अभियुक्तों में से केवल 2 अपीलार्थियों

को ही चुना, जिनके संबंध में उसने पुलिस के समक्ष कथन दिया था। यह तथ्य भी उसके साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है।

(12) समस्त साक्ष्यों के सम्यक् विवेचन के उपरांत हम पाते हैं कि दोषसिद्धि केवल बलिराम (अ.सा.-2) के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की गई है, जिसे आंशिक रूप से विश्वसनीय माना गया था। उसका साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से पुष्ट नहीं होता। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त दोनों निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से दोनों अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए बलिराम (अ.सा.-2) के एकमात्र कथन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। हमारा मत है कि आंशिक रूप से विश्वसनीय एकमात्र साक्षी के कथन की पुष्टि के अभाव में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

(13) उपर्युक्त कारणों से, हम यह अपील स्वीकार करते हैं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थियों को प्रदान की गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त करते हैं।

(14) अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूति बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधिपति **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate